



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या — 361 राँची, बुधवार,

3 अगस्त, 2022 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

संकल्प

1 अगस्त, 2022

ज्ञापांक-05/बी०ए०यू०(स०पु०वे०शि०)-07/2019--

विषय:- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची के सेवानिवृत्त शिक्षकों/वैज्ञानिकों/पदाधिकारियों-निदेशक, अधिष्ठाता, कुलसचिव एवं अन्य समकक्ष पेंशनरों को सप्तम पुनरीक्षित पेंशन दिनांक-01.01.16 के प्रभाव से लागू करने के संबंध में ।

-
- 1- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची के सेवानिवृत्त शिक्षकों/वैज्ञानिकों/पदाधिकारियों-निदेशक, अधिष्ठाता, कुलसचिव एवं अन्य समकक्ष पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनधारकों को समय-समय पर झारखण्ड सरकार के राज्य कर्मियों के अनुरूप पेंशन देती रही है। इस क्रम में छठवां पुनरीक्षित पेंशन का लाभ उपर्युक्त वर्णित पेंशनरों को कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प सं०-3769 दिनांक-18.12.2010 एवं पत्रांक-3280 दिनांक-07.12.2012 के द्वारा दिनांक-01.01.06 के प्रभाव से संशोधित पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ।

- 2- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची के शिक्षकेतर कर्मचारियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के संकल्प सं**0-1235** दिनांक-**31.05.2019** के द्वारा स्वीकृत किया गया है ।
3. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची के आदेश सं**0-466** दिनांक-**02.03.2020** के द्वारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची के अधीनस्थ कार्यरत शिक्षकों/वैज्ञानिकों/पदाधिकारियों/सेवानिवृत्त शिक्षकों/वैज्ञानिकों/पदाधिकारियों (पेंशनरों) को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक-**01.01.16** के प्रभाव से लागू करने हेतु प्रस्तावित पुनरीक्षित वेतनमान की समीक्षा कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु अपर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। अपर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की अध्यक्षता में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची के शिक्षकों/वैज्ञानिकों आदि को दिनांक-**01.01.2016** से सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी (**Annexure-1**) ।
4. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची के अधीनस्थ कार्यरत शिक्षकों/वैज्ञानिकों/पदाधिकारियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक-**01.01.2016** के प्रभाव से कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के संकल्प सं**0-779** दिनांक-**07.04.2022** के द्वारा स्वीकृत किया गया है ।
5. झारखण्ड सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों को सप्तम पुनरीक्षित पेंशन का लाभ वित्त विभाग के संकल्प सं**0-218** दिनांक-**18.01.2017** के द्वारा स्वीकृत किया गया है ।
6. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची के सेवानिवृत्त शिक्षकों/वैज्ञानिकों/पदाधिकारियों-निदेशक, अधिष्ठाता, कुलसचिव एवं अन्य समकक्ष पेंशनरों का सप्तम पुनरीक्षण के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण दिनांक-**01.01.2016** के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए किया जायेगा ।
7. वर्तमान में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची में सेवानिवृत्त शिक्षकों/वैज्ञानिकों/ पदाधिकारियों-निदेशक, अधिष्ठाता, कुलसचिव एवं अन्य समकक्ष पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनधारकों की कुल संख्या-**209** है। इन सभी की बकाया राशि नियंत्रक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची के पत्रांक-**449** दिनांक-**05.05.2022** के द्वारा दिनांक-**01.01.2016** से **31.03.2022** तक कुल राशि **₹ 14,01,53,006.00** (चौदह करोड़ एक लाख तिरपन हजार छः **₹ 0**) की गणना की गयी है (**Annexure-2**) ।
8. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची के दिनांक-**01.01.2016** के पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों/वैज्ञानिकों/पदाधिकारियों-निदेशक, अधिष्ठाता, कुलसचिव एवं अन्य समकक्ष पेंशनरों का सप्तम

पुनरीक्षण दिनांक-**01.01.2016** के प्रभाव से योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, रांची के संकल्प ज्ञापांक-**09/पें0(6)-02/2018-35/वि0** दिनांक-**22.02.2019** के कंडिका-4 (क) एवं (ख) (**Annexure-3**) में निर्देशित प्रावधानों का संपूर्ण अनुपालन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

9. विश्वविद्यालय के उपर्युक्त वर्णित सभी **209** पेंशनरों के पेंशन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा स्थापना व्यय अंतर्गत गैर योजना मद में प्राप्त अनुदान से किया जायेगा। संशोधित सप्तम पेंशन लागू करने के लिए किसी भी संस्था या श्रोत से कोई भी राशि नहीं मिलेगी। संपूर्ण राशि का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।
10. यदि सरकार के स्तर पर या अन्य किसी सक्षम स्तर पर इनके पेंशन निर्धारण में किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो उसका निराकरण नियमानुसार राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप सक्षम स्तर से किया जाएगा एवं इस क्रम में भुगतान की गई अधिक राशि की तत्क्षण वसूली एकमुश्त संबंधित पेंशनधारियों के पेंशन से कर ली जाएगी। विसंगति/त्रुटि का निराकरण सक्षम स्तर से संभव नहीं होने की स्थिति में इसके समुचित समाधान हेतु वित्त विभाग का परामर्श अंतिम निर्णय के रूप में मान्य होगा ।
11. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची के सेवानिवृत्त शिक्षकों/वैज्ञानिकों/पदाधिकारियों-निदेशक, अधिष्ठाता, कुलसचिव एवं अन्य समकक्ष पेंशनरों को सप्तम पुनरीक्षित पेंशन दिनांक-01.01.16 के प्रभाव से लागू करने के संबंध में संलेख ज्ञापांक-1530 दिनांक-21.06.2022 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-15.07.2022 में मद सं0-06 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृत किया गया है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से ,

अबुबक्कर सिद्दीख पी०,
सरकार के सचिव।
